

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 18/06/18

क्रमांक :- 1330

अर्थात्
कंवराराम 2 चेतनराम
जाति जाट निवासी
तुलछी नगर शिवकर
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 दुर्गाराम पुत्र पदमाराम 2 मीरोदेवी पत्नी दुर्गाराम जाति जाट निवासी रामसर कुआ 3 जेठाराम 4 बाबुलाल 5 गोसाईराम 6 गोमाराम पिसरान डालुराम 7 वीरों पत्नी डालुराम 8 राणाराम 9 भूराराम पिसरान अचलाराम 10 केशाराम पुत्र देराजराम 11 नरसाराम 12 चूनाराम 13 सोनाराम 14 मेहाराम पिसरान पूराराम 15 मालू पत्नी पूराराम 16 तेजाराम पुत्र रूगनाथराम 17 बाबुराम पुत्र चौखाराम जाति जाट निवासी तुलछी नगर, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।

अर्थात् पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 722/2018

दिनांक- 17/06/18

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा तुलछी नगर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1136/935 रकबा 35.01 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 18/06/18

क्रमांक :- रीडर/2019/ 1331-34

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. कंवराराम पुत्र खेराजराम वगैराह जाति जाट निवासी तुलछी नगर शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी दुर्गाराम पुत्र पदमाराम वगैराह जाति जाट निवासी तुलछी नगर शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर